मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
ब्लाक–1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
(मुख्य कार्यालय –59, अरेरा हिल्स, नर्मदाभवन, द्वितीय तल, भोपाल)

क्रमांक/5542/ MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2015 भोपाल, दिनांक22/05/ 2015

प्रति,

1. संभागायुक्त, समस्त संभाग
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी नरेगा
   जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः **मनरेगा अंतर्गत नवीन कार्य प्रारंभ किये जाने विषयक।**

संदर्भः **1.विभाग का पत्र क्र. 6830/ MGNREGS-MP/NR-3/2014 दि. 24.09.2014।**
2.परिषद का पत्र क्र. 1699/NR-10/MGNREGS-MP/2014 दि. 02.03.2015।
3.परिषद का पत्र क्र. 3050/NR-10/MGNREGS-MP/15 दि. 19.03.2015।
4.विभाग का पत्र क्र. 4630/ MGNREGS-MP/NR-3/SE/2015 दि. 02.05.2015।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वृहद संख्या में अपूर्ण कार्यो के दृष्टिगत विगत वर्षो के नरेगा साफ्ट में प्रदर्शित पुराने प्रगतिरत कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण कराये जाने एवं पंचायत भवन नवीन कार्य कराये जाने हेतु विभाग के संदर्भित पत्रों से निर्देश जारी किये गये हैं। अधिकांश जिलों द्वारा पुराने कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु कार्यवाही की है, जिसके फलस्वरूप एमआईएस में दिनांक 24.09.2014 को अपूर्ण कार्यो की संख्या 7,32,934 से घटकर 22 मई 2015 की स्थिति में 4,35,419 हो गई है। जिलों से प्राप्त हो रहे फीडबेक के अनुसार प्रक्रियाधीन लंबित भुगतान हो जाने पर विगत वर्षो के अपूर्ण कार्यो की संख्या लगभग 3.50 लाख तक कम होना संभावित है। वर्तमान में 369 ग्राम पंचायतों में अपूर्ण कार्यो की संख्या शून्य हो गई है। मनरेगा अंतर्गत न्यूनतम 60 % कार्य कृषि एवं कृषि आधारित लिये जाना है। इस स्थिति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेबर बजट के पूर्ति हेतु जिलो द्वारा आवश्यकतानुसार नवीन कार्य खोले जाने की मांग को देखते हुये योजनांतर्गत निम्न परिस्थितियों में नवीन कार्य लिये जा सकेगें :

1. जिन ग्राम पंचायतों में अपूर्ण कार्य शून्य है, उनमें लेबर बजट अनुसार एसओपी में चिन्हित नवीन कार्य लिये जा सकेगें। कार्यो के चिन्हांकन में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। किसी भी समय ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रगतिरत कार्यो की संख्या 5 सामुदायिक एवं 25 हितग्राहीमूलक कार्यो से अधिक नहीं रहे, यह कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जावे।
2. ग्राम पंचायत में 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात संधारण की स्थिति नहीं होने पर कृषि एवं कृषि आधारित श्रम बाहुल्य कार्य लिये जा सकेगें।
3. ग्राम पंचायत में श्रमिको की मांग अधिक होने पर पहले अपूर्ण कार्यो में मस्टर जारी किया जावे। शेष मांग हेतु नवीन कार्यो में सहायक यंत्री की अनुशंसा प्राप्त कर जिला कार्यक्रम समन्वयक या अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य allocate किये जा सकेगें।

4. अभिसरण के ऐसे कार्य जिनमें केवल अकुशल मजदूरी मनरेगा से दी जाना है, ऐसे नवीन कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृत होने पर कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत उन्हें प्रारंभ कराने हेतु अपने स्तर से ई–मस्टर जनरेट कर सकेगें।
5. नवीन कार्य हेतु जनपद स्तर पर एक पंजी का संधारण किया जावे, जिसमें नवीन कार्य खोले जाने का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013–14 तक के अपूर्ण कार्य (नवीन वृक्षारोपण के कार्यो को छोडकर) पूर्ण कराये जाने तक लागू रहेगी।
6. किसी कार्य अंतिम भुगतान हेतु FTO जारी होने के अधिकतम 15 दिवस में कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ नरेगा साफ्ट अपलोड कराया जावे, ताकि नरेगा साफ्ट में अपूर्ण कार्यो की संख्या अनावश्यक रूप से प्रदर्शित न हो। नियत समयावधि में कार्यवाही नहीं करने हेतु उपयंत्री, सहायक यंत्री व कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगें।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./5543/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2015 भोपाल, दिनांक24/05/2015

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/डी.पी.आईपी.।
4. राज्य समन्वयक राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन/स्वच्छ भारत अभियान।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
7. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
8. श्री उवैस अहमद, सिस्टम एनालिस्ट, म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद, सूचनार्थ एवं एमआईएस में कार्यो के पंजीयन का प्रावधान कराये जाने की त्वरित कार्यवाही हेतु।
9. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग